

कार्यालय, अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

13/3/14

शाप संख्या \_\_\_\_\_ / ७०, दिनांक

आदेवा

जिला दण्डीधिकारी मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के संयुक्त आदेवा शापांक - 703/जो०, मधेपुरा, दिनांक 12-03-2014 तथा राजस्व पर्वद, बिहार, पन्ना की अधिसूचना सं० 4/टेक/30013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आशोक में विधि-सम्पन्ना बनाये रखने हेतु दोहरी के अन्तर्गत पर दिनांक 17-03-2014 को सभी प्रकार के भोज एवं खुदरा शराब को दुकानें सीलबन्द रेंगी। आदेवा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

13/3/14  
प्र० अधीक्षक उत्पाद,  
मधेपुरा।

शाप संख्या \_\_\_\_\_ / ७०, दिनांक

प्रतिक्षेप निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/अंचल अन्तर्गत निरीक्षक उत्पाद सदर/उदारीकानगंज/महामन्नागार पदाधिकारी, सुपेथी महाचार्ज कोरिंगा ज्ञान प्राप्ति, दोहरी शराब विनिर्माणालय, मधेपुरा प्रबन्धक देवी/विदेगी शराब ठिठे, कोरसा को सो शक, मधेपुरा के। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अंचल अन्तर्गत निरीक्षक उत्पाद के निदेशित किमा जाता है कि अपने-अपने अंचल के अन्तर्गत पन्नेवाले सभी उत्पाद दुकानों के समसम सीलबन्द करना सुनिश्चित करेंगे एवं सख्त जास्ती/दापामारी करेंगे ताकि किसी भी श्रेयत से शराब को छिपी नहीं हो सके।

प्र० अधीक्षक उत्पाद,  
मधेपुरा।

शाप संख्या 291 / ७०, दिनांक 13-3-2014

प्रतिक्षेप जिला दण्डीधिकारी, मधेपुरा को आदेवा के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिक्षेप जिला सूचना शिक्षान पदाधिकारी, मधेपुरा को केसबुद्ध पर उपरोक्त कले हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/14  
प्र० अधीक्षक उत्पाद,  
मधेपुरा।